



संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ

SANJAY GANDHI POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,
RAEBARELI ROAD, LUCKNOW 226 014

पत्रांक सं० पीजीआई/सम्पत्ति/एच-104/984/23

दिनांक 14.01.2023

कार्यालय आदेश

संस्थान परिसर के विभिन्न श्रेणी के आवासों की लाईसेंस शुल्क दिनांक 01.10.2022 से प्रभावी पुनरीक्षित दरों को संस्थान की 96वीं शासी निकाय की बैठक दिनांक 21.09.2022 (एजेण्डा नं० 96.11B) द्वारा निम्नानुसार तालिका के स्तम्भ-4 में संशोधित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

Sl. No.	Type of Houses	Existing Licence Fee w.e.f. 01-07-17 (Approved on 89th GB dt. 13.06.2017)	Revised Licence Fee w.e.f. 01.10.2022 (Approved on 96 th GB dt. 21.09.2022)
1	2	3	4
1.	Type/I	150.00	180.00
2.	Type/II-B	310.00	370.00
3.	Type/II-A	310.00	370.00
4.	Type/III	470.00	560.00
5.	Type/IV	1190.00	1490.00
6.	Type/VB	1560.00	1840.00
7.	Type/V-A	1870.00	2200.00
8.	Type/V (New Campus)	1870.00	2200.00
9.	Type/VI	3920.00	4610.00

उक्त आदेश निदेशक महोदय के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जाता है।

Ag-5
14/1/23
(ए०पी०श्रीवास्तव)
सम्पत्ति अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. निदेशक महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. अपर निदेशक
3. वित्त अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त संशोधित दरें लागू तिथि से नियमानुसार कटौती सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा करें।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
5. अधिशाषी कुलसचिव
6. चिकित्सा अधीक्षक
7. संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
8. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
9. संकाय प्रभारी, सिविल अभियंत्रण विभाग
10. विभागाध्यक्ष, बायोस्टेस्टिक्स को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश संस्थान की वेब साईट पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. समस्त विभागाध्यक्षों को ई-मेल/ई-आफिस के माध्यम से इस आशय से सूचनार्थ कि वह अपने अधीनस्थ संकाय सदस्यों/अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त आदेश से अवगत कराने की कृपा करें।
12. प्रोवोस्ट/वार्डन/नोडल आफिसर, पीजीआई।
13. नोटिस बोर्ड

Ag-5
(ए०पी०श्रीवास्तव)
सम्पत्ति अधिकारी